रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 266] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 1975/आषाढ़ 31, 1897

No. 266] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 1975/ASADHA 31, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 22nd July 1975

S.O. 375(E).—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession that Messrs. Gluconate Limited, Calcutta (hereafter in this Order referred to as the said industrial undertaking) has been closed for a period of not less than three months and that such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry, namely, the Drugs and Pharmaceuticals Industry and that the financial condition of the company owning the said industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of such undertaking are such that it is possible to re-start the undertaking and such restarting is necessary in the interests of the general public.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 18-AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person), consisting of :—

Chairman

(1) Shri C. R. Guha Majumdar, IAS, Secretary to the Government of West Bengal, Closed & Sick Industries Department, Writers' Buildings, Calcutta.

Members

(2) Shri N. K. Chandra, 55-Kabi Sukanta Sarani (Charakdanga Road), Calcutta-10.

(3) Shri Samar K. Sen, P-16/1B-Keyatala Road, Calcutta-29.

(4) Dr. A. C. Kar, Director, Drugs Control, Government of West Bengal, Calcutta.

to take over the management of the whole of the said industrial undertaking subject to the following terms and conditions, namely :—

(i) the authorised person shall comply with all the directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the authorised person shall hold office for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette; and

(iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of two years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 4/3/75-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1975

का० आ० 375 (अ).—केन्द्रीय सरकार का उस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जो उसके पास है यह समाधान हो गया है कि मैसर्स ग्लूकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) कम से कम तीन मास की अवधि के लिए बन्द कर दी गई है और इस प्रकार बन्द कर दिए जाने से सम्बन्धित अनुसूचित उद्योग पर, अर्थात औषधि और फार्मास्यूटिकल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और चूंकि उक्त औद्योगिक उपक्रम की स्वामिनी कम्पनी की वित्तीय दशा और ऐसे उपक्रम के संयंत्र और मशीनों की दशा ऐसी है कि उपक्रम को पुनः चालू करना सम्भव है तथा जनसाधारण के हित में आवश्यक है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों के एक निकाय को (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री सी० आर० गुहा मजूमदार, भा०प्र०से०
 सचिव, पश्चिमी बंगाल सरकार,
 बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग,
 राइटर्स बिल्डिंग,
 कलकत्ता–1

सदस्य

2. श्री एन० के० चन्द्रा,
 55–कवी सुकन्ता सरानी,
 (चरणगंगा रोड)
 कलकत्ता–10

3. श्री समर कुमार सेन,
 बी–16/1 बी–केयातला रोड,
 कलकत्ता–29

4. डा० ए० सी० कर,
निदेशक,
औषधि नियंत्रण,
पश्चिमी बंगाल सरकार,
कलकत्ता ।

उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन, प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

[(i) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी निदेशों का अनुपालन करेगा ;

(ii) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा ; और

(iii) केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति, पहले ही [illegible] है यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे ।

2. यह आदेश इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होकर पांच वर्ष की अवधि तक [प्रभावी रहेगा ।

[सं० फा० 4/3/75-सी०यू०सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975